



भारत सरकार

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय

तृतीय तल, एनेक्सी भवन, केंद्रीय राजस्व भवन, बीरचंद पटेल पथ, पटना।

दूरभाष- 0612 2504620 , फ़ैक्स - 0612-2504388, website: www.cexpatna.bih.nic.in

व्यापार सूचना - 02 /विविध/2015(सेवाकर)

दिनांक:- 27.05.2015

Subject:- Union Budget 2015, withdrawal of the Service Tax Exemption hitherto available on specified services of construction, repair, maintenance, renovation or alteration service provided to the Government, a local authority, or a governmental authority--reg.

As per Union Budget, 2015 certain exemptions hitherto available on specified construction services provided to the Government, a local authority, or a governmental authority have been withdrawn with effect from 1.4.2015. Consequent to the Budget changes, the services provided to the government, a local authority or a governmental authority provided by way of construction, erection commissioning, installations, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation or alteration of following buildings/ establishment/ structure are now also taxable w.e.f. 01.04.2015:-

- a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession;
- b) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or (iii) an art or cultural establishment;
- c) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in the Explanation 1 to clause 44 of section 65 B of the Finance Act, 1994;
- d) Airport or port

(For exact text Notification No. 25/2012-ST dated 20-6-2012 and amending Notification No. 6/2015-Service Tax dated 01.03.2015 may be referred to)

2. अतः, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय, पटना, के क्षेत्राधिकार में आनेवाले सभी व्यापार समितियों/वाणिज्य मंडलों/आर.ए.सी. के सदस्यों (संगठित एवं लघु उद्योग), से अनुरोध है की इस

व्यापार सूचना के विषयवस्तु की ओर अपने घटक सदस्यों और अन्य सभी सम्बंधित एवं विशेष कर सरकारी निर्माण-कार्य से जुड़े contractor / vendor/ service provider का ध्यान आकृष्ट करें | इस संबंध में सेवाकर करदाता CBEC के वेबसाइट www.cbec.gov.in , www.servicetax.gov.in, से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या इस हेतु अपने प्रमंडलीय अधिकारी या परिक्षेत्रीय अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं |

ह/-

(सत्यजीत सिंह)

आयुक्त

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर

पटना

सं.सं. V (19)08 -सेवाकर/व्या.सू./ पैट/2015/

दिनांक:- .05.2015

आदेशानुसार प्रतिलिपि अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारित:-

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, पटना
2. आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, पटना
3. संयुक्त आयुक्त (निवारण/अंकेक्षण/अधिनिर्णय), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, पटना
4. डाक सूची-1, 2, 3 के अनुसार
5. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, सेवाकर प्रमंडल (सभी) अनुरोध है कि इसे अपने अधिनस्त प्रछेत्र पदाधिकारियों को अवगत करावें !
6. www.cexpatna.bih.nic.in/ Notice Board.

सहायक आयुक्त (सेवाकर)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर मु. पटना